प्रेस नोट संशोधित

दिनांक- 17.05.2024

सराहनीय कार्य जनपद अमेठी पुलिस

***पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा चलाये जा रहे <u>operation conviction</u> अभियान के अन्तर्गत अमेठी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके हत्या के टॉप-10 अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा सश्रम आजीवन कारावास एवं 33,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी* ।**

पुलिस अधीक्षक अमेठी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी के पर्यवेक्षण में टॉप-10 अपराधियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चल रहे अभियोगों में ***operation conviction*** अभियान के अन्तर्गत चिन्हित अभियोग में अभियोजन अधिकारी/न्यायालय पैरोकार एवं मॉनीटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सुल्तानपुर में मु0अ0सं0 363/2016 धारा 302/307/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना संग्रामपुर के अभियुक्तगण 1-वीरकेश्वर सिंह 2-प्रदीप सिंह पुत्रगण रंग बहादुर सिंह निवासीगण धौरहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी को दोष सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई, परिणाम स्वरुप माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-13 सुलतानपुर द्वारा अभि0गण को आज दिनांक 17.05.2024 को धारा-302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास, 15,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा-307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड, धारा 308 भादवि मे 07 वर्ष का सश्रम कारावास, 2000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा-323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, धारा-325 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000 रु0 के अर्थदण्ड, धारा-452 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000 रु0 के अर्थदण्ड एवं धारा-506 भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास 2,000 रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः*-**

प्रश्नगत अभियोग वादी मुकदमा की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 26.04.2016 समय 12.50 बजे अभियुक्तगण 1-वीरकेश्वर सिंह 2-प्रदीप सिंह पुत्रगण रंग बहादुर सिंह निवासी गण धौरहरा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी द्वारा पिस्टल से फायर करना और लाठी डंडा, लोहे की राड लेकर घर मे घुसकर परिवार के लोगों को मारपीट कर लहू लुहान कर देना व जान से मारने की धमकी देने की तहरीर सूचना पर मु0अ0सं0 363/2016 धारा 302/307/308/323/325/452/504/506 भादवि थाना संग्रामपुर पर पंजीकृत होकर विवेचक थानाध्यक्ष श्री प्रहलाद सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र संख्याः ए-144 दिनांक 20.07.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।